न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2455–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2014 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक, राजधानी परियोजना, टी0टी0नगर वृत, भोपाल, प्रकरण कमांक 15/अ–12/2013–14.

1–विनीत चढढा आत्मज श्री शिवकुमार चढढा
निवासी सी 169 शाहपुरा भोपाल
2–श्रीमती अंजुम चढढा पत्नी विनी चढढा
निवासी सी 169 शाहपुरा भोपाल

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्री के0जी0 रेलन आ0 मेहरचंद रेलन
निवासी 46 ए.डी.सेक्टर बी0डी0ए कालोनी,
2–मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री बी0एन0कोचर, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राकेश गिरी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, राजधानी परियोजना, टी0टी0नगर वृत, भोपाल द्वारा पारित आदेश 29–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि ग्राम बिसनखेडी तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित सर्वे कमांक 155/1/4 रकबा 1 एकड़ के सीमांकन हेतु राजस्व निरीक्षक, राजधानी परियोजना, टी0टी0नगर वृत, भोपाल के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण कमांक 15/अ–12/13–14 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर

दिनांक 29–6–2014 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के बटांकन के संबंध में उभयपक्ष के मध्य प्रकरण प्रचलित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित है, अतः जब तक बटांकन अंतिम नहीं हो जाता, तब तक राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन वैधानिक एवं उचित नहीं ठहराया जा सकता है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा सीमांकन हेतु दिनांक 25–6–14 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और दिनांक 28–6–2014 को ही राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया जाकर दिनांक 29–6–14 को अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि पूर्णतः संदिग्ध कार्यवाही है क्योंकि जिस दिनांक को आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ है उसी दिनांक को सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर उसी दिन सीमांकन किया जाना संभव नहीं है । उनके द्वारा राजस्व निरीक्षक का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटांकन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त हो चुकी है और आवेदक की भूमि अनावेदक की भूमि के पास स्थित नहीं है । इस आधार पर कहा गया कि चूँकि आवेदक का और सुधीर भण्डारी का विवाद चल रहा था, इसलिये यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जबकि सीमांकन से आवेदक के हित प्रभावित नहीं हुये है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य हे । तर्क के समर्थन में 1996 आरएन 357 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तर्क के दौरान आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि बटांकन विवादित होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलित है, परन्तु उनके द्वारा इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि बटांकन विवादित होकर अंतिम नहीं हुआ है और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील लंबित है, जबकि अनावेदक की ओर से कहा जा रहा है कि बटांकन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के

समक्ष प्रस्तुत अपील निरस्त हो चुकी है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण द्वारा यह भी नहीं बतलाया जा सका है कि वे किस प्रकार से सीमांकन में प्रभावित है, क्योंकि अनावेदिका की ओर से बतलाया जा रहा है कि आवेदकगण की भूमि अनावेदक की भूमि से काफी दूरी पर है और वे सीमांकन से प्रभावित नहीं है । आवेदकगण की ओर से यह भी प्रमाणित नहीं किया गया है कि वे अनावेदक कमांक 1 के पड़ोसी कृषक है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही की जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है । दर्शित परिस्थितियों में तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, राजधानी परियोजना, टी0टी0नगर वृत, भोपाल द्वारा पारित आदेश 29–6–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 2456–पीबीआर/14 पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर.